Date:- 17.11.2022

PRESS NOTE

प्रेस नोटः- (थाना नूरपुर)

थाना नूरपुर पुलिस/औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीली/प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गयी।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध/प्रतिबंधित नशीले पदार्थों/दवाओं के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि करने वाले अपराधियों, मेडिकल स्टोर संचालक आदि के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने तथा इस धंधे में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे **"नया सवेरा"** अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में दिनांक 16.11.2022 को थाना नूरपुर पुलिस एवं औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा नूरपुर में चांदपुर रोड पर अवैध रूप से संचालित ''कपिल मेडिकोज'' (मेडिकल स्टोर) के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में नशीली/प्रतिबन्धित दवाईयॉ बरामद की गयी एवं मेडिकल स्टोर संचालक रणवीर सिंह पुत्र स्व0 मायाराम सिंह निवासी ग्राम शहवाजपुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 556/22 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 420 भादवि बनाम रणवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गयी।

विवरणः- कस्बा नूरपुर में ''कपिल मेडिकोज'' (मेडिकल स्टोर) पर अवैध रूप से नशीली/प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री की प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि करते हुये औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा अवैध/प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री कर रहे मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बिना लाईसेंस के अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहा था तथा युवा पीढी को नशीली दवाईयॉ एवं इंजेक्शन की बिक्री कर उनके भविष्य को बर्बाद करने में लगा था, जिससे युवा पीढी नशे की आदि हो रही थी। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों से नशा छुडाकर उन्हे समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा रहा है एवं जिससे उनके जीवन में एक "नये सवेरे" का उदय हो रहा है।

अभियुक्त का नाम/पताः-

रणवीर सिंह पुत्र स्व0 मायाराम सिंह निवासी ग्राम शहवाजपुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

1. पैन्टाजोशिन - 290 इंजैक्शन
2. एल्प्राजोलम - 820 टेबलेट
3. पोक्सीवोन स्पास - 384 कैप्सूल
4. पोक्सीमेड स्पास - 104 कैप्पसूल
5. कोडिन - 05 सीरप

<u>गिरफ्तार/बरामदगी करने करने वाली टीमः-</u>

थानाध्यक्ष नीरज कुमार शर्मा, व0उ0नि0 श्री सुदेशपाल सिंह, कां0 कपिल शर्मा, कां0 विकास बैसला, कां0 आर्यन औषधि निरीक्षक श्री उमेश कुमार भारती, श्री भगीरथ सिंह, (औषधि अनुसेवक)

<u>थाना बढ़ापुरः-</u> आज दिनांक 17.11.2022 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त 1. अब्दुल रशीद उर्फ माना पुत्र सरमत निवासी मौहल्ला नौमी कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली देहातः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.विनोद पुत्र भीधवा सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 293/2022 धारा 4 /25 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली देहातः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.अनुष पुत्र चंदरू निवासी ग्राम मौजमपुर हरवंश उर्फ रहमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 292/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम अभियोग में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हल्दौरः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.शेरखान पुत्र जफरूद्दीन निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0स0-466/22 धारा-4/25 आयुध अधिनियम मे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली शहरः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 823 /22 धारा 147,149,323,304,504 आईपीसी में वांछित अभियुक्त 03 अभियुक्त 1. अर्जुन पुत्र गिरधारी 2.सत्येंद्र पुत्र गिरधारी 3. महेंद्र पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासीगण गांव मोहलडपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली शहरः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1. लक्ष्मण पुत्र लालमन निवासी निजामत पुर थाना कोतवाली शहर 2.ताजुद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी निजामतपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हल्दौरः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.विनोद पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0स0-468/22 धारा-4/25 आयुध अधिनियम मे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना किरतपुरः- आज दिनांक 17.11.2022 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.सिद्धार्थ पुत्र तुलसी चौहान निवासी ग्राम गंगोरा थाना कालसी जनपद देहरादून को एक अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 403/22 धारा 25(1-B)b शस्त्र अधिनियम में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

1090

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना हल्दौरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना नहटौरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना अफजलगढः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना नजीबाबादः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।